न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 2/19

दायरा दिनांक :– 05.08.2019 उनवान निर्णय दिनांक :– 26.11.2019

1. मोहनसिंह पुत्र जीवनलाल जाति चमार निवासी धतुरिया तहसील शाहाबाद जिला बारां।
2. हरज्ञान पुत्र जीवनलाल जाति चमार निवासी धतुरिया तहसील शाहाबाद जिला बारां।
3. धनवन्ती पुत्री जीवनलाल जाति चमार निवासी धतुरिया तहसील शाहाबाद जिला बारां।
4. सुन्दर वेवा जीवनलाल जाति चमार निवासी धतुरिया तहसील शाहाबाद जिला बारां।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत गणेशपुरा जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत गणेशपुरा तहसील शाहाबाद।
2. सरकार जर्ये तहसीलदार शाहाबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नियमों में ग्राम पंचायत गणेशपुरा दिनांक 21.02.2001 नामान्तकरण संख्या 257 ग्राम धतुरिया तहसील शाहाबाद।

अपीलान्टस निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करते है।

1—यह है कि ग्राम धतुरिया तहसील शाहाबाद की आराजी खसरा न. 46 रकबा 15 बीघा के खातेदार जीवनलाल पुत्र मलतु जाति चमार निवासी धतुरिया तहसील शाहाबाद जो अपीलान्ट क्रम 1 ता 3 के पिता एवं अपीलान्ट क्रम 4 पति थे के फोत हो जाने के कारण इनकी विरासत का प्रश्नगत नामंतकरण सख्या 257 दिनांक 21.02.2001 को ग्राम पंचायत गणेशपुरा द्वारा मृतक के वैध वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है। इसमें अपीलान्ट क्रम 2 का नाम हरज्ञान के स्थान पर बचपन का बोलता नाम कालू गलत रूप से दर्ज कर दिया गया जबकी अपीलान्ट क्रम 2 का नाम हरज्ञान ही है। अपीलान्ट क्रम 2 का आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदात परिचय पत्र एवं बैंक खाते मे सभी जगह हरज्ञान ही नाम दर्ज है। लेकिन प्रशनगत नामन्तकरण मे अपीलान्ट का नाम गलत रूप से कालू दर्ज कर दिये जाने से अपीलान्ट क्रम 2 को भारी परेशानी हो रही है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारॉं (राज०)

2–यह कि उक्त नामान्तकरणा अपीलान्टस को कोई सूचना दिये बिना खोला जाकर अपीलान्ट क्रम 2 का गलत नाम लिखकर तस्दीक किया गया है जिसकी अपीलान्टस को कोई जानकारी नही थी। अपीलान्टस को उक्त नामन्तकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09.07.2019 को पटवारी हल्का से नकल लेने पर हुई है धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित करणों पर डिले कन्डोन किये जाने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर ग्राम धतुरिया के नामन्तकरण सख्या 257 पर पारित आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रशनगत नामन्तकरण मे दर्ज आराजी का नामन्तकरण अपीलान्ट क्रम 2 का नाम कालू का स्थान पर हरज्ञान के नाम से खोला जाकर तस्दीक किये जाने बाबत आदेश प्रदान करने कि कृपा करे। अपीलवाद जांच दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को तलब किया गया वाद तलवी अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अपीलान्टस की सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया अपीलान्ट के अपील के समर्थन में पेश दस्तावेज से जाहिर होता है कि, प्रार्थी का वास्तविक नाम हरज्ञान है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 257 को निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि, तहसीलदार शाहाबाद पुनः मृतक जीवनलाल के वारिसान की विधि सम्मत जांच कर नये सिरे से इन्तकाल आदेश पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां

Scanned by CamScanner